

कार्यालय जिला एवं सेशन न्यायाधीश, टोंक (राज.)

क्रमांक : स्था./2025/1/13943

दिनांक : 20/11/2025

कार्यालय आदेश

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर के आदेश संख्या : 21/विविध/2025 दिनांक 06.11.2025 की अनुपालना में अधीनस्थ न्यायालयों में दिनांक 25.12.2025 से 31.12.2025 तक शीतकालीन अवकाश अवधि में जिला एवं सेशन न्यायाधीश/ अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीशों के न्यायालय बन्द रहेंगे, परन्तु वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, टोंक का न्यायालय राजपत्रित अवकाश तथा सार्वजनिक अवकाश को छोड़कर दिनांक 25.12.2025 से 31.12.2025 तक शीतकालीन अवकाश की अवधि में खुला रहेगा। उक्त न्यायालय के पीठासीन अधिकारी एवं कर्मचारीगण शीतकालीन अवकाश का उपभोग नहीं करेंगे। उक्त अवकाश अवधि में इनकी अनुपस्थिति में पूरे सेशन खण्ड के ऐसे आवश्यक आवेदन पत्र जो उक्त सेशन न्यायालयों के समक्ष पेश किये जायेंगे या लम्बित हैं, उन्हें सुनने व निपटाये जाने तथा उक्त न्यायालयों का आवश्यक सिविल कार्य भी निपटाये जाने हेतु अतिरिक्त वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, संख्या-1/2, टोंक, वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, मालपुरा/निवाई/उनियारा को निम्नानुसार अधिकृत किया जाता है। उक्त अधिकृत अतिरिक्त वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट/वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट का बैठक स्थान न्यायालय वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, टोंक होगा एवं सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट/अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट का बैठक स्थान न्यायालय सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, टोंक होगा एवं न्यायालय वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट टोंक एवं सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट टोंक में कार्यरत कर्मचारीगण शीतकालीन अवकाश का उपभोग नहीं करेंगे :-

क्र.सं.	नाम न्यायालय	अवधि
1	वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, निवाई	दिनांक 25.12.2025
2	अतिरिक्त वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, संख्या-2, टोंक	दिनांक 26.12.2025 व 27.12.2025
3	अतिरिक्त वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, संख्या-1, टोंक	दिनांक 28.12.2025 व 29.12.2025
4	वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, उनियारा	दिनांक 30.12.2025
5	वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, मालपुरा	31.12.2025

शीतकालीन अवकाश की अवधि में विशिष्ट न्यायालय पोक्सो एक्ट प्रकरण, टोंक तथा विशिष्ट न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, टोंक न्यायालय भी बन्द रहेंगे लेकिन उक्त न्यायालय के पीठासीन अधिकारी 25.12.2025 से 31.12.2025 तक शीतकालीन अवकाश की अवधि में कम से कम दो बार आवश्यक कार्य हेतु न्यायालय में बैठेंगे।

उक्त शीतकालीन अवकाश अवधि में जमानत एवं निरोध अवधि की अवधि अभिवृद्धि (रिमाण्ड) सम्बन्धी तथा अन्य आवश्यक सिविल मामलों को निपटाने के लिए सम्पूर्ण न्यायक्षेत्र/सेशन खण्ड के लिये निम्नलिखित अधिकारियों को आवश्यक एवं दैनिक कार्य किये जाने हेतु अधिकृत किया जाता है :-


जिला एवं सेशन न्यायाधीश
टोंक (राज.)

क्र.सं.	नाम न्यायालय	अवधि
1	सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, दूनी	दिनांक 25.12.2025
2	अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, टोंक	दिनांक 26.12.2025
3	अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, निवाई	दिनांक 27.12.2025
4	अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, देवली	दिनांक 28.12.2025
5	न्यायाधिकारी, ग्राम न्यायालय, देवली	दिनांक 29.12.2025 व 30.12.2025
6	सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, मालपुरा	दिनांक 31.12.2025

नोट :- निदेशक, राजस्थान स्टेट ज्यूडिशियल अकेडमी, जोधपुर के पत्रांक RSJA/RJS-Trng/2025/f-8/2005 date 17.10.2025 की अनुपालना में इस न्यायक्षेत्र के प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी निम्नानुसार शीतकालीन अवकाश में ड्यूटी हेतु नियुक्त निम्न पीठासीन अधिकारी के साथ कार्य करेंगे:-

क्र. सं.	प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी का नाम	दिनांक 25.12.2025 को शीतकालीन ड्यूटी में जिस पीठासीन अधिकारी के साथ कार्य करेंगे उनका पदनाम	दिनांक 26.12.2025 को शीतकालीन ड्यूटी में जिस पीठासीन अधिकारी के साथ कार्य करेंगे उनका पदनाम
1	सुश्री दीपांजलि जादौन	वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, निवाई	अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, टोंक
2	सुश्री विधिका आर्य		
3	सुश्री भूमिका	सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, दूनी	अतिरिक्त वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, संख्या-2, टोंक
4	सुश्री देवयानी शर्मा		

उक्त न्यायालय राजपत्रित एवं सार्वजनिक अवकाशों को छोड़कर दिनांक 25.12.2025 से 31.12.2025 तक शीतकालीन अवकाश की अवधि में उपरोक्तानुसार खुले रहेंगे। उक्त न्यायालयों के पीठासीन अधिकारीगण एवं कर्मचारीगण शीतकालीन अवकाशों का उपभोग नहीं कर सकेंगे तथा अन्य सभी न्यायालय उक्त शीतकालीन अवकाश में बन्द रहेंगे।

उक्त न्यायालयों से संबंधित आवश्यक कार्य के निष्पादन हेतु केन्द्रीय नजारत शाखा, प्रतिलिपि शाखा व अभिलेखागार शाखा राजपत्रित एवं सार्वजनिक अवकाशों को छोड़कर दिनांक 25.12.2025 से दिनांक 31.12.2025 तक शीतकालीन अवकाश में उपरोक्तानुसार खुले रहेंगे। इन शाखाओं के कर्मचारीगण उक्त शीतकालीन अवकाश का उपभोग नहीं करेंगे।

अधीनस्थ न्यायालयों के सभी पीठासीन अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि वे अपने अधीनस्थ कर्मचारियों को निर्देशित करें कि वे शीतकालीन अवकाश अवधि में रजिस्ट्रों का वार्षिक गोश्वारा तोड़ें, निर्णीत पत्रावलियों को अभिलेखागार में जमा कराने हेतु तैयार करें तथा त्रैमासिक, अर्द्धवार्षिक एवं वार्षिक मानचित्र आदि का कार्य पूर्ण कर लें।

नोट:- संबंधित पीठासीन अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि वह ड्यूटी हेतु अपने न्यायालय के आशुलिपिक को साथ लेकर आवें।

54-
जिला एवं सेशन न्यायाधीश,
टोंक (राज.)

क्रमांक : स्था./2025/1/13944-13992

दिनांक : 20/11/2025

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है :-

1. आदेश पत्रावली
2. श्रीमान रजिस्ट्रार जनरल महोदय, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर को उनके आदेश संख्या : 21/विविध/2025 दिनांक 06.11.2025 के क्रम में सूचनार्थ।
3. न्यायाधीश, पारिवारिक न्यायालय, टोंक
4. विशिष्ट न्यायालय, भ्रष्टचार निवारण अधिनियम, टोंक
5. न्यायाधीश, विशेष न्यायालय, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 टोंक
6. न्यायाधीश, विशेष न्यायालय (सा.दं.प्र.) एवं मोटर दुर्घटना वाद न्यायाधिकरण, टोंक
7. विशिष्ट न्यायाधीश, अ.जा./ज.जा (अ.नि.) प्रकरण, टोंक
8. अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, टोंक/मालपुरा/निवाई/उनियारा
9. सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, टोंक
10. वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, टोंक
11. अतिरिक्त वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, संख्या-1/2, टोंक
12. वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, मालपुरा/उनियारा/निवाई/टोडारायसिंह
13. प्रिंसीपल मजिस्ट्रेट, किशोर न्यायबोर्ड, टोंक
14. सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट टोंक/मालपुरा/निवाई/उनियारा/देवली/दूनी/पीपलू
15. न्यायाधिकारी, ग्राम न्यायालय, देवली
16. अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, टोंक/देवली/निवाई
17. प्रभारी अधिकारी, अभिलेखागार/प्रतिलिपि/नजारत शाखा, जिला एवं सेशन न्यायालय, टोंक
18. नोडल ऑफीसर, जिला स्तरीय कम्प्यूटर समिति, जिला एवं सेशन न्यायालय, टोंक
19. सुश्री दीपांजलि जादौन, सुश्री देवयानी शर्मा, सुश्री विदिका आर्य एवं सुश्री भूमिका प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारीगण, टोंक
20. जिला कलेक्टर, टोंक
21. जिला पुलिस अधीक्षक, टोंक
22. सहायक निदेशक, अभियोजन, टोंक
23. अधीक्षक, जिला कारागृह, टोंक/मालपुरा
24. अध्यक्ष, अभिभाषक संघ, टोंक/मालपुरा/निवाई/उनियारा/देवली/टोडारायसिंह/दूनी/पीपलू/अलीगढ़
25. कोर्ट मैनेजर/रीडर ग्रेड-1/वरिष्ठ मुंसरिम जिला न्यायालय, टोंक
26. सिस्टम ऑफीसर, जिला एवं सेशन न्यायालय, टोंक को प्रेषित कर लेख है कि उपरोक्त आदेश को जिला एवं सेशन न्यायालय की वेबसाइट पर अपलोड करें।
27. संबंधित पत्रावली


जिला एवं सेशन न्यायाधीश,
टोंक (राज.)